

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष— लीली तोपनो ।

बनाम

वाद सं० 25/2021

द्वितीय पक्ष— प्रभु सहाय तोपनो बगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 10/12/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 12/2021 दिनांक 10/04/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) लीली तोपनो उम्र 70 वर्ष पति स्व० उम्बलन तोपनो ग्राम रमातोलया महुआ टोली थाना कामडारा बनाम द्वितीय पक्ष (1) प्रभु सहाय तोपनो उम्र 55वर्ष (2) सामुएल तोपनो उम्र 35 वर्ष (3) अबि सलेम तोपनो उम्र 45 वर्ष तीनों पिता स्व० मानसुख तोपनो उम्र 28 वर्ष तीनों पिता स्व० अगस्तीन तोपनो सभी ग्राम रामतोलया महुआ टोली थाना कामडारा जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उभय पक्षों के बीच उक्त वादगत की कार्यवाही अवधि में शांति भंग होने संबंधी सूचना अप्राप्त होने एवं उक्त वाद की समय अवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।	